Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes of the...
20/11/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष वकील बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख. न. 856 रकबा 453-02 बीघा भूमि का प्रार्थी के पिता के नाम 3 रुपये के स्टाम्प पर विक्रय पत्र निष्पादित कर स्वातंत्र्य करवा दिया गया था। वादग्रस्त आराजी पर तब से प्रार्थी काबिज काश्त है। दिनांक 22.3.37 को उक्त भूमि पुनः रावलराम व बंशीधर को नाजायज रूप से बेचान कर दी गयी, अतः नामान्तरकरण संख्या 445 व 446 निरस्त योग्य है। रावलराम व बंशीधर ने गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि में से 101 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 को बेचान कर दी जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी उक्त विधि विरुद्ध विक्रय के आधार पर प्राप्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद करवाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र को ही बहस मानते हुए प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को भारी हर्जाने से खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ख. न. 859/1 व 859/2 की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी ना करे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। सही. [illegible] कलेक्टर	